

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी: संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या: 202/2011  
दायर दिनांक: 11.11.2011  
निर्णय दिनांक: 23.12.2022

उनवान

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. किशोर पुत्र भगवान जाति माली निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा।
2. कस्तूरी पत्नि रामसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा।
3. नाथी पत्नि फैलीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा।
4. कमोद पत्नि कैलाशचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा।
5. मुन्नी पत्नि हेमराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रकरण अन्तर्गत धारा-136 राज० भू-राजस्व अधिनियम-1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा ने पत्र क्रमांक: भू-अ./11/10144 दिनांक 21.09.2011 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम पाडली में खसरा नम्बर 495 रकबा 2.64 है० किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज है। जिला कार्यालय से ली गई नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 495 गै०मु० रास्ता खसरा नम्बर 627 तक बना हुआ है एवं पटवारी के लट्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर 495 गै०मु० रास्ता खसरा नम्बर 625 तक ही बना हुआ है। दोनों नक्शा ट्रेसों में भिन्नता है।

प्रकरण अन्तर्गत धारा-136 राज० भू-राजस्व अधिनियम-1956 दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित खातेदारान को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान पैरोकार सरकार की ओर से कथन किया गया कि ग्राम पाडली की नक्शा शीट पटवार लट्ठा में ख० नं० 495 रकबा 2.64 है० गै०मु० रास्ता ख०नं० 625 के मध्य तक अंकित है, जबकि भू-प्रबन्ध विभाग की नक्शा शीट मोमिया में एवं साबिक नक्शा भूमि एकीकरण के अनुसार भी वर्तमान

लगातार ....2....



5


(2)

ख० नं० 495 गै०मु० रास्ता ख०नं० 627 तक अंकित है। इस प्रकार पटवार नक्शा लट्ठा एवं भू-प्रबन्ध की मोमिया शीट में भिन्नता है, जबकि ख०नं० 495 गै०मु० रास्ता मौके पर ख०नं० 627 की पूर्वी सीमा तक स्थित है एवं आम जनता का आवागमन चालू है। अतः भू-प्रबन्ध विभाग की मोमिया शीट के अनुसार दुरुस्ती की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस भूमि एकीकरण विभाग एवं नक्शा ट्रेस भू-प्रबन्ध विभाग की नकल से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि खसरा नम्बर 495 रकबा 2.64 है० किस्म गै०मु० रास्ता ख०नं० 627 तक बना हुआ है। बहस के दौरान पैरोकार सरकार की ओर से किये गये कथन के अनुसार मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा रास्ता चालू है। उक्त तथ्यों के आधार पर भू-प्रबन्ध विभाग की मोमिया शीट के अनुसार दुरुस्ती किया जाना उचित है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार दौसा से प्राप्त रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पाडली तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 495 रकबा 2.64 है० किस्म गै०मु० रास्ता को भू-प्रबन्ध विभाग की मोमिया शीट के अनुसार ख०नं० 627 तक रास्ता नक्शे में दर्ज किया जाकर दुरुस्ती की जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(संजय कुमार गौरा)  
उपखण्ड अधिकारी दौसा  
दौसा (राज.)